

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1058  
दिनांक 18 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

समेकित बाल विकास योजना/अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के  
अंतर्गत वित्त पोषण

1058. श्रीमती प्रमिला बिसाई:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान आईसीडीएस और अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के अंतर्गत राज्य-वार कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है;
- (ख) चालू वित्त वर्ष के लिए कितना बजटीय आवंटन प्रस्तावित है और विभिन्न राज्यों को आज की तिथि तक आईसीडीएस के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई है; और
- (ग) क्या सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान कोविड-19 के कारण अतिरिक्त लागत को पूरा करने हेतु वर्तमान निधि आवंटन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटित, निर्मुक्त तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक I से IV में दिया गया है।

बजटीय प्रावधानों की उपलब्धता के अधीन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) प्रस्ताव के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आवंटित की जाती हैं।

\*\*\*\*\*

<p>आईसीडीएस/ एसएनपी के तहत वित्त पोषण विषय पर श्रीमती प्रमिला बिसाई द्वारा 18.09.2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारंकित प्रश्न संख्या 1058 के उत्तर के भाग (क)में संदर्भित विवरण</p>	<p>अनुलग्नक -1</p>
---	--------------------

(रूप लाखों में )

क्र.सं	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	2017-18 के दौरान निर्मुक्त निधियां					
		एसएनपी			आईसीडीएस (सामान्य )		
		अनुमोदित एपीआईपी	निर्मुक्त की गई निधियां	प्रयुक्त की गई निधियां	अनुमोदित एपीआईपी	निर्मुक्त की गई निधियां	प्रयुक्त की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	32916.43	31596.87	29420.29	22222.12	24629.79	22012.06
2	बिहार	54423.27	53741.97	59979.55	38381.93	35851.96	24204.64
3	छत्तीसगढ़	22699.81	25724.9	22905.04	19351.46	28345.16	28100.38
4	गोवा	664.6	1011.2	1006.72	530.03	585.64	517.4
5	गुजरात	28235.82	38496.97	38012.71	21604.78	21581.54	19675.44
6	हरियाणा	6342.75	3945.75	3605.39	10888.88	13601.08	10648.12
7	झारखंड	25140.96	25347.42	25347.42	16057.34	14879.45	8157.92
8	कर्नाटक	45222.48	56009.24	50008.99	26394.44	32177.98	38020.58
9	केरल	8296	10976.6	10977.18	14255.09	20186.77	18103.8
10	मध्य प्रदेश	55724.11	66775.88	67623.32	38534.69	46683.69	41044.11
11	महाराष्ट्र	49665.28	41445.78	58718.77	44035.79	58469.85	51980.09
12	ओडिशा	35698.64	47316.24	44358.57	28603.34	34543.96	27505.26
13	पंजाब	6144.75	5282.25	808.74	10965.67	13998.21	8816
14	राजस्थान	28939.88	34931.86	36660.76	23913.52	30339.08	21525
15	तमिलनाडू	28651.21	33186.7	33211.48	17790.77	14394.25	14339.27
16	तेलंगाना	18076.35	18130.74	19005.85	14347.47	18905.07	18831.04
17	उत्तर प्रदेश	165244.43	129353.52	77776.61	70772.24	80279.47	40917.54
18	पश्चिम बंगाल	47617.5	67697.94	81324.81	45755.55	27805.04	-12283.61
19	दिल्ली	6762.17	4051.41	763.89	6278.02	6560.53	-780.79
20	पुदुचेरी	348.12	851.02	851.02	421.65	590.88	590.88
21	हिमाचल प्रदेश	5366.32	5795.63	5795.62	11828.07	14898.51	15249.1
22	जम्मू और कश्मीर	4257.02	4035.17	-3195.48	20305.29	14383.93	14541.83
23	उत्तराखंड	11392.44	15212.13	16734.26	11226.46	11666.46	10194.2
24	अंडमान और निकोबार	284.57	284.57	284.57	501.85	974.13	974.13
25	चंडीगढ़	592.09	592.09	592.09	339.162	471.88	471.88
26	दादर व नागर हवेली	129.89	129.89	129.89	186.12	182.9	182.9
27	दमन और दीव	130.83	130.83	130.83	66.373	139.28	139.28
28	लक्षद्वीप	77.12	85.35	85.35	76.375	39.46	39.46
29	अरुणाचल प्रदेश	4085.14	4035.02	3435.74	4184.17	8218.4	7347.02
30	असम	35875.31	31554.71	17113.82	37084.11	37115.73	23497.78
31	मणिपुर	3914.63	5244.2	3323.32	6797.25	10284.52	5454.4
32	मेघालय	9422.19	12238.89	12306.83	3326.62	5466.89	4125.93
33	मिजोरम	2000.25	1539.37	1140.09	1415.31	3416.45	3127.52
34	नागालैंड	6902.3	7000.08	6422.66	2214.17	6816.95	6128.98
35	सिक्किम	632.47	481.21	180.76	793.03	1426.33	1125.88
36	त्रिपुरा	6650.22	6456.59	6749.82	6084.74	6381.42	5741.05
कुल		<b>758527.35</b>	<b>790689.99</b>	<b>733597.28</b>	<b>577533.88</b>	<b>646292.64</b>	<b>480266.47</b>

नोट : (1). पिछले वर्ष में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अपव्यय / अतिरिक्त व्यय को समायोजित करने के बाद अनुमोदित आवंटन से निधियां निर्मुक्त की गई हैं

(2) ऋणात्मक निधि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के साथ उपलब्ध अपव्यय राशि को दर्शाता करता है

(3) प्रयुक्त निधि पिछले वर्ष की अपव्यय राशि के उपलब्धता के कारण जारी / अनुमोदित आवंटन से अधिक हैं

एपीआईपी - वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना

एसएनपी- प्रक पोषण कार्यक्रम

आईसीडीएस/ एसएनपी के तहत वित्त पोषण विषय पर श्रीमती प्रमिला बिसाई द्वारा 18.09.2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अनुलग्नक -II  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1058 के उत्तर के भाग (क)में संदर्भित विवरण

((रूप लाखों में )

क्र.सं	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	2018-19 के दौरान निर्मुक्त निधियां					
		एसएनपी			आईसीडीएस (सामान्य )		
		अनुमोदित एपीआइपी	निर्मुक्त की गई निधियां	प्रयुक्त की गई निधियां	अनुमोदित एपीआइपी	निर्मुक्त की गई निधियां	प्रयुक्त की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	39530.13	37353.55	36412.22	28884.89	32895.05	27789.58
2	बिहार	70750.25	76987.83	74301.2	47613.06	36974.64	39823.31
3	छत्तीसगढ़	27099.81	24279.95	20252.58	23943.28	28735.52	28735.52
4	गोवा	863.98	859.5	844.9	721.02	778.06	621.47
5	गुजरात	32535.82	32051.56	23392.34	25716.23	29206.4	32295.14
6	हरियाणा	7645.58	7305.22	4195.22	13080.7	13276.2	11679.89
7	झारखंड	29083.25	29083.25	27373.26	19003.49	18797.43	16865.29
8	कर्नाटक	49589.22	43588.97	38759.92	31161.5	43506.22	25101.72
9	केरल	10784.8	10785.38	13006.73	15699.34	17058	14631.48
10	मध्य प्रदेश	63241.34	64088.78	65209.8	47132.09	50633.1	37433.09
11	महाराष्ट्र	55055.2	106535.22	76557.08	50947.2	56705.31	43698.32
12	ओडिशा	46408.23	43450.56	44825.99	32117.23	33841.79	33443.35
13	पंजाब	7488.18	3744.1	5327.15	12981.63	13411.95	13877.81
14	राजस्थान	33221.84	34950.74	29599.82	27873.05	29085.81	27522.08
15	तमिलनाडू	37246.57	37271.35	36839.02	23379.78	26488.7	17400.46
16	तेलंगाना	21170.5	22045.61	21398.84	17816.79	21257.53	19260.18
17	उत्तर प्रदेश	156155.99	104579.08	150232.24	80195.01	85548.34	73011.82
18	पश्चिम बंगाल	54420	68046.87	67871.56	51081.49	54839.34	28286.44
19	दिल्ली	6762.17	3474.65	5609.01	5479.59	5457.19	4085.32
20	पुदुचेरी	0	0	0	447.65	452.11	163.33
21	हिमाचल प्रदेश	6976.22	6976.21	6957.88	18179.26	24112.44	17038.94
22	जम्मू और कश्मीर	4257.02	2128.5	7330	29614	34361.46	30376.57
23	उत्तराखंड	12090.44	13612.57	15423.98	17648.3	18465.2	16712.74
24	अंडमान और निकोबार	369.94	369.94	298.46	756.8	883.04	883.04
25	चंडीगढ़	769.72	769.72	769.72	553.9	634.14	634.14
26	दादर व नागर हवेली	168.86	168.86	168.86	300.97	354.23	354.23
27	दमन और दीव	170.08	170.08	170.08	76.45	97.13	97.13
28	लक्षद्वीप	100.26	100.26	100.26	169.44	245.2	245.2
29	अरुणाचल प्रदेश	5010.68	4411.4	4470.65	7528.29	7375.84	9671.02
30	असम	45037.9	30597.01	34050.78	50802.45	49561.1	57546.8
31	मणिपुर	5089.02	7134.08	4465.34	9709.45	8892.39	16712.74
32	मेघालय	10468.21	12364.04	12364.04	5613.68	4996.77	5912.73
33	मिजोरम	2242.64	1843.36	1817.23	2544.32	2493.46	2475.98
34	नागालैंड	7588.35	8231.2	6906.86	4828.28	3721	5674.74
35	सिक्किम	751.11	450.66	484.4	1430	1500.36	1500.36
36	त्रिपुरा	7488.55	7781.78	7781.78	8940.65	9406.72	7951.4
	कुल	857631.86	847591.84	845569.2	713971.26	766049.17	669513.36

नोट : (1). पिछले वर्ष में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अपव्यय / अतिरिक्त व्यय को समायोजित करने के बाद अनुमोदित आवंटन से निधियां निर्मुक्त की गई है

(2) दिनांक 01.10.2018 से एडव्ल्युडव्ल्युडव्ल्यु/ एडव्ल्युएच के मानदेय की दर में वृद्धि के कारण राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र को धनराशि स्वीकृत आवंटन से अधिक जारी की जाती है।

एपीआईपी - वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना  
एसएनपी- पूरक पोषण कार्यक्रम

आईसीडीएस/ एसएनपी के तहत वित्त पोषण विषय पर श्रीमती प्रमिला बिसाई द्वारा 18.09.2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1058 के उत्तर के भाग (क)में संदर्भित विवरण	अनुलग्नक -III अनुलग्नक -II
---	-------------------------------

(रूपए लाखों में )

क्र.सं .	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	2018-19 के दौरान निर्मुक्त निधियां					
		एसएनपी			आईसीडीएस (सामान्य )		
		अनुमोदित एपीआईपी	निर्मुक्त की गई निधियां	प्रयुक्त की गई निधियां	अनुमोदित एपीआईपी	निर्मुक्त की गई निधियां	प्रयुक्त की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	35844.15	32726.24		36778.6	29729.92	
2	बिहार	77825.28	76100.71		63915.2	47936.4	
3	छत्तीसगढ़	29809.79	20930.7		33243.8	24932.85	
4	गोवा	845.46	826.38		912.18	684.14	
5	गुजरात	35789.4	33671.97		32581.23	32422.06	
6	हरियाणा	8410.14	4205.09		17475.56	13106.67	
7	झारखंड	31991.58	22959.33		25608.28	19206.2	
8	कर्नाटक	54548.14	42657.55		41895.96	31421.97	
9	केरल	11863.28	14085.21		22766.91	17534.3	
10	मध्य प्रदेश	69565.47	71534.93		60763.99	45572.99	
11	महाराष्ट्र	60560.72	78949.43		66783.74	50087.82	
12	ओडिशा	51049.06	49466.82		44570.7	33428.03	
13	पंजाब	8237	5346.54		18657.52	13993.14	
14	राजस्थान	36544.02	29913.62	संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग	37642.03	28231.53	संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग
15	तमिलनाडू	39331.66	37341.72	प्रमाणपत्र / व्यय का विवरण प्राप्त करने के बाद वर्ष 2020-21 दौरान निर्मुक्त निधि में वर्ष 2019-20 की अपव्यय राशि / अतिरिक्त व्यय को समायोजित किया जाएगा।	33477.59	25108.19	प्रमाणपत्र / व्यय का विवरण प्राप्त करने के बाद वर्ष 2020-21 दौरान निर्मुक्त निधि में वर्ष 2019-20 की अपव्यय राशि / अतिरिक्त व्यय को समायोजित किया जाएगा।
16	तेलंगाना	23287.55	22519.69		24058.55	21987.17	
17	उत्तर प्रदेश	171771.59	148686.46		109850.13	82387.61	
18	पश्चिम बंगाल	59862	59862		68091.96	51068.97	
19	दिल्ली	7438.39	4425.64		11431.13	8573.36	
20	पुदुचेरी	0	0		604.21	453.16	
21	हिमाचल प्रदेश	7673.84	7655.5		22201.73	16651.3	
22	जम्मू और कश्मीर	4682.72	2341.36		37701.07	28275.8	
23	उत्तराखंड	13299.48	13308.15		21470.94	16103.22	
24	अंडमान और निकोबार	406.94	327.44		994.91	802.54	
25	चंडीगढ़	846.69	705.52		765.79	622.16	
26	दादर व नागर हवेली	185.74	185.75		375.9	375.9	
27	दमन और दीव	187.09	139.88		127.45	121.59	
28	लक्षद्वीप	110.28	55.14		95.78	71.84	
29	अरुणाचल प्रदेश	3830.67	2332.96		10187.2	9472.2	
30	असम	49541.69	49541.69		63171.81	57539.63	
31	मणिपुर	9960.45	4980.21		14238.09	10678.57	
32	मेघालय	11515.03	11582.97		7049.75	6624.75	
33	मिजोरम	2466.9	2041.49		3422.38	2566.79	
34	नागालैंड	7967.69	7390.27		6370.59	7636.36	
35	सिक्किम	582.82	291.42		2182.15	1636.62	
36	त्रिपुरा	8979.7	7028.04		11799.79	8849.84	
	कुल	936812.41	866117.82		953264.6	745895.59	

एपीआईपी - वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना

एसएनपी- पूरक पोषण कार्यक्रम

आईसीडीएस/ एसएनपी के तहत वित्त पोषण विषय पर श्रीमती प्रमिला बिसाई द्वारा 18.09.2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारंकित प्रश्न संख्या 1058 के उत्तर के भाग (क)में संदर्भित विवरण

अनुलग्नक-IV

(रूपए लाखों में)					
क्र.सं	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	2020-21 के दौरान निर्मुक्त निधियां (31.08.2020 तक )			
		एसएनपी		आईसीडीसी (सामान्य)	
		अनुमोदित एपीआईपी	निर्मुक्त की गई निधियां	अनुमोदित एपीआईपी	निर्मुक्त की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	37473.16	14031.52	39873.84	11670.05
2	बिहार	85607.81	32500.9	79313.7	20622.88
3	छत्तीसगढ़	32790.77	7965.25	33870.8	9160.86
4	गोवा	881.76	206.61	1285.37	182.45
5	गुजरात	39368.34	14504.7	32465.82	10780.44
6	हरियाणा	9251.15	2172.61	16977.41	5289.46
7	झारखंड	35190.74	8672.4	26459.84	7084.1
8	कर्नाटक	59944.17	10664.4	40205.33	8379.2
9	केरल	13049.61	5437.34	23197.38	7020.45
10	मध्य प्रदेश	76522.02	30221.8	62419.6	18643.15
11	महाराष्ट्र	66616.79	27470.92	66818.56	20357.72
12	ओडिशा	51279.05	20762.21	44976.91	13614.93
13	पंजाब	9060.70	1336.65	16596.86	3731.5
14	राजस्थान	40198.42	13321.07	37836.08	11487.39
15	तमिलनाडु	39852.62	15768.29	32395.03	10123.41
16	तेलंगाना	22487.67	7503.82	23957.08	6851.4
17	उत्तर प्रदेश	188948.75	65307.89	106996.83	27073.09
18	पश्चिम बंगाल	65848.20	25441.35	67822.24	20733.87
19	दिल्ली	7185.75	2074.01	10931.52	2636.3
20	पुद्दुचेरी	0.00	0	555.58	162.06
21	हिमाचल प्रदेश	8441.22	1913.88	24591.84	6264.24
22	जम्मू व कश्मीर	4682.72	829.22	39620.25	9017.77
23	उत्तराखंड	14629.43	5655.16	23445.95	4951.76
24	अंडमान व निकोबार	406.43	115.74	1155.01	288.4
25	चंडीगढ़	633.26	176.37	616.57	156.36
26	ददार व नगर हवेली एवं दमन व दीव	410.11	81.42	511.68	108.68
27	लद्दाख	554.23	13.8	1694.07	19.15
28	लक्षद्वीप	121.31	146.34	127.78	1460.95
29	अरुणाचल प्रदेश	4001.44	1111.09	11246.92	2546.34
30	असम	54495.86	21055.2	63289.83	20355.29
31	मणिपुर	8771.49	1245.06	15507.42	2847.62
32	मेघालय	11707.34	2895.75	6965.8	2015.74
33	मिजोरम	2713.59	906.61	3874.83	1076.67
34	नागालैंड	8233.04	3149.53	6921.27	2347.12
35	सिक्किम	606.45	72.87	2169.57	436.45
36	त्रिपुरा	8670.68	1757.01	11488.99	2359.97
<b>कुल</b>		<b>1010636.078</b>	<b>346488.79</b>	<b>978183.56</b>	<b>271857.22</b>

एपीआईपी - वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना

एसएनपी- पूरक पोषण कार्यक्रम